न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 27/2021
अभिजीत किरार पुत्र स्व0 जयसिंह, निवासी नांगलिया गुजरवास, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं मो0न0 7073500771

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 25.02.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 18.02.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 27/2021 पर दिनांक 18.02.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021 /751–752 दिनांक 18.02.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/ सू0अ0/20/305 दिनांक 24.02.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी अभिजीत पुत्र जयसिंह निवासी नांगलिया गुजरवास तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं ने आरटीआई पोर्टल पर 16.01.2021 को आवेदन कर धानका जाति के संबंध मे जिला कलेक्टर द्वारा समस्त तहसीलदार को अब तक दिये गये आदेश की प्रमाणित प्रति चाही है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16(4)(5)न्याय/ सू0अ0/09/19 दिनांक 19.01.2021 के द्वारा सामान्य अनुभाग को पत्र लिखकर अपीलार्थी के द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय मे भिजवाने हेतु पत्र लिखा गया। सामान्य अनुभाग ने अपने पत्र कमांक एफ 40( )( )सा/सू0अ0/2019/133 दिनांक 01.02.2021 के द्वारा सूचना इस कार्यालय मे उपलब्ध करवाई। सामान्य अनुभाग से प्राप्त सूचना कुल 9 पृष्ठ मे है जिसके प्रति पृष्ठ 2 रूपये के हिसाब से कुल 18 रूपये राजकोष मे जमा कराने हेतु आरटीआई पोर्टल के कमांक नम्बर 1512521617 दिनांक 02.02.2021 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया। प्रार्थी ने दिनांक 03.02.2021 के द्वारा आरटीआई पोर्टल पर कुल 18 रूपये जमा करवाये जिसके संबंध मे अपीलार्थी को आरटीआई पोर्टल के कमांक 1417363918 दिनांक 05.02.2021 के द्वारा आरटीआई पोर्टल के माध्यम से सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। प्रार्थी ने जिला कलक्टर के समक्ष प्रथम अपील दायर कर अवगत करवाया कि उनको पूर्ण सूचना नही दी गई है। प्रार्थी ने 2015 तक की सूचना मांगी थी जबकि प्रार्थी के आवेदन मे जिला कलेक्टर महोदय द्वारा समस्त तहसीलदार मुख्यतया तहसीलदार खेतडी को जो भी आदेश दिये गये उनकी प्रतिलिपि चाही गई थी कि सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। प्रार्थी के आवेदन मे कहीं भी 2015 तक की सूचना का वर्णन नही है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

जाने की कृपा करे।

5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/ सू0अ0/20/305 दिनांक 24.02.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी अभिजीत पुत्र जयसिंह निवासी नांगलिया गुजरवास तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं ने आरटीआई पोर्टल पर 16.01.2021 को आवेदन कर धानका जाति के संबंध मे जिला कलेक्टर द्वारा समस्त तहसीलदार को अब तक दिये गये आदेश की प्रमाणित प्रति चाही है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16(4)(5)न्याय/ सू0अ0/09/19 दिनांक 19.01.2021 के द्वारा सामान्य अनुभाग को पत्र लिखकर अपीलार्थी के द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय मे भिजवाने हेतु पत्र लिखा गया। सामान्य अनुभाग ने अपने पत्र कमांक एफ 40( )( )सा/सू0अ0/2019/133 दिनांक 01.02.2021 के द्वारा सूचना उनके कार्यालय मे उपलब्ध करवाई। सामान्य अनुभाग से प्राप्त सूचना कुल 9 पृष्ठ मे है जिसके प्रति पृष्ठ 2 रूपये के हिसाब से कुल 18 रूपये राजकोष मे जमा कराने हेतु आरटीआई पोर्टल के कमांक नम्बर 1512521617 दिनांक 02.02.2021 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया। प्रार्थी ने दिनांक 03.02.2021 के द्वारा आरटीआई पोर्टल पर कुल 18 रूपये जमा करवाये जिसके संबंध मे अपीलार्थी को आरटीआई पोर्टल के कमांक 1417363918 दिनांक 05.02.2021 के द्वारा आरटीआई पोर्टल के माध्यम से सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। प्रार्थी ने जिला कलक्टर के समक्ष प्रथम अपील दायर कर अवगत करवाया कि उनको पूर्ण सूचना नही दी गई है। प्रार्थी ने 2015 तक की सूचना मांगी थी जबकि प्रार्थी के आवेदन मे जिला कलेक्टर महोदय द्वारा समस्त तहसीलदार मुख्यतया तहसीलदार खेतडी को जो भी आदेश दिये गये उनकी प्रतिलिपि चाही गई थी कि सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। प्रार्थी के आवेदन मे कहीं भी 2015 तक की सूचना का वर्णन नही है। प्रार्थी ने अपील मे भिन्न तथ्यों का उल्लेख कर अपूर्ण सूचना प्राप्त होना बताया है। प्रार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किये गये आवेदन के अनुसार सूचना उपलब्ध करवादी गई। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है तथा साथ ही लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को निर्देश दिये जाते है कि यदि आवेदक द्वारा नये सिरे से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन किया जावे तो निर्धारित अवधि मे सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 25.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं
25/02/21